


राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/73

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	26/2024	15/2/2024		18/3/2024
प्रार्थना- पत्र				

अनवान

श्री देवीलाल S/O चारा भील

श्री अंगूलाल S/O गोडू भील

निवासी खैरादिया तह. बिजौलिया  
वर्ग - ③

निवासी धवतरी खेड़ा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रामचूल धास

श्री

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

किरग मुकदमा - देवीलाल वनाम अनलाल  
 11-128 नम्बर 26 / 2024

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

15/2 / 2024  
 प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वारते तलबी/जवाब दिनांक 18/03/2024 को पेश हों।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विजौलियां

18/8/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/4/24 को वास्तुतलबी पेश हो।  
*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी

24/4/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्तुतलबी पेश हो।  
*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी

23/4/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पूर्ण उपस्थित। विपक्षीयण बाद सूचना भूयस्थित। विपक्षीयण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में 19 पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वारते निर्णय आगामी दिनेषु 29/04/24 को पेश हो।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

29/4/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पूर्ण उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल 29/4/24 को, जन्त से कम होकर वास्तुतलबी पेश हो।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 26/24

तारीख 15/2/24

01. देबीलाल पुत्र प्यारा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दुर्गालाल पुत्र प्यारा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सुरेश पुत्र प्यारा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीगण

## बनाम

01. भूरा पुत्र काना जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी छत्रीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. मांगीलाल पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 29/4/24

प्रार्थना पत्र देबीलाल, दुर्गालाल, सुरेश पुत्र प्यारा जाति भील निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम खेराडिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 2 रकबा 0.7689 हैक्टेयर पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम खेराडिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 2 रकबा 0.7689 हैक्टेयर बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 26/24

तारीख 23/4/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 26 / 2024 पत्थरगढी बाबत।

01. देबीलाल पुत्र प्यारा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दुर्गालाल पुत्र प्यारा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सुरेश पुत्र प्यारा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीगण

## बनाम

01. भूरा पुत्र काना जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी छत्रीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. मांगीलाल पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम खेराडिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 2 रकबा 0.7689 हैक्टेयर की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा